बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

## सकारण आदेश

सकारण आदेश संख्या–14 / अ0प्र0–3–120 / 14 6234 पटना, दिनांक–20.5.16

संवेदक श्री आशीष कुमार शर्मा, पुरानी बाजार, महावीर स्थान जिला–लखीसराय निबंधन संख्या–1654 / 2010 श्रेणी–द्वितीय द्वारा मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत दोगाय से विक्कम संपर्क पथ हेतु एकरारनामा संख्या – 01F2/2013-14 कार्य प्रारंभ करने की तिथि 26.03.2013 एवं कार्य समाप्ति की तिथि 25.12.2013 है। कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, लखीसराय द्वारा कई स्मार तथा चेतावनी के बाद भी संवेदक द्वारा कार्य को पूरा करने हेतु अभिरूची नहीं ली गयी। बाध्य हो कर कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, लखीसराय के पत्रांक 622 दिनांक 22.05.2014 के द्वारा सूचित किया गया। कि इस कार्य की अन्तिम मापी दिनांक 15.06.2014 को संवेदक या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में लिये जाने की सूचना संवेदक को दी गयी। परन्तु संवेदक के ओर से योजना स्थल पर कोई उपस्थित नहीं हुआ। तद्नुसार दिनांक 15.06.2014 को संवेदक की अनुपस्थिति में अंतिम मापी का कार्य किया गया।

कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, लखीसराय के पत्रांक 1132 दिनांक 08.08.2014 के द्वारा एकरारनामा विखंडित करते हुए कालीसूची में डालने का अनुशंसा प्राप्त हुआ है।

कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, लखीसराय पत्रांक 878 दिनांक 02.07.2014 तथा विभागीय पत्रांक 11441 दिनांक 18.09.2014, 8753 दिनांक 14.07.2015 एवं 373 दिनांक 12.01.2016 से संवेदक श्री आशीष कुमार शर्मा, पुरानी बाजार, महावीर स्थान जिला–लखीसराय से स्पष्टीकरण की मांग की गयी है। संवेदक से मांगा गया स्पष्टीकरण अप्राप्त है।

सम्यक विचारोपरांत बिहार ठीकेदारी नियमावली 2007 की कंडिका 11 के उप कंडिका (8) (1) A and B के तहत संवेदक श्री आशीष कुमार शर्मा, पुरानी बाजार, महावीर स्थान जिला–लखीसराय (निबंधन संख्या–1654 / 2010) श्रेणी–द्वितीय को पन्द्रह वर्षो के लिए विभागीय काली सूची में डाला जाता है।

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक–14 / अ0प्र0–3–120 / 14 6234 पटना, दिनांक–20.5.16

प्रतिलिपि– श्री आशीष कुमार शर्मा, पुरानी बाजार, महावीर स्थान जिला–लखीसराय को सूचनार्थ प्रेषित।

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक–14 / अ0प्र0–3–120 / 14 6234 पटना, दिनांक–20.5.16

प्रतिलिपि–कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, लखीसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निर्देशित किया जाता है कि एकरारनामा के प्रावधानों के तहत उक्त संवेदक के जमानत की राशि जब्त करने एवं उनके विरूद्ध सर्टिफिकेट केस दायर करने की कार्रवाई सुनिश्चित कर अनुपालन प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध करायें।

अभियंता प्रमुख

279

ज्ञापांक– 14/अ0प्र0–3–120/14 6234 पटना, दिनांक–20.5.16

प्रतिलिपि–अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/जल संसाधान विभाग/लोक स्वास्थय अभियंत्रण विभाग/ नगर विकास विभाग/उर्जा विभाग/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी अधीक्षण अभियता/सभी कार्यपालक अभियंता/सभी नोडल पदाधिकारी (मु0), ग्रामीण कार्य विभाग /आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/05/16

अभियंता प्रमुख

**बिहार सरकार**

**जल संसाधन विभाग ।**

ज्ञापांक:-11/विविध-06-07/2015 3789 पटना, दिनांक- 12.7.2016

प्रतिलिपि:-सभी मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, बिहार, (यॉत्रिक सहित)/ अधीक्षण अभियंता, यो0 एवं मो0, अंचल-2,3, एवं बाढ़ / निदेशक, कय भंडार एवं सामग्री प्रबंधन / आई0टी0 मैनेजर (वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु) जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

(कमलेश्वर प्रसाद)

सरकार के अवर सचिव ।

आई0टी0 मैनेजर